



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 61 राँची, सोमवार,

20 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-01-30/2023 का.-28680 (HRMS)--उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-154, दिनांक-26.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या- 6012, दिनांक- 23.09.2021 द्वारा श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 754/03) को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया है ।

2. उक्त आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या- 21637(HRMS), दिनांक- 14.06.2023 के द्वारा श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-754/03) को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया ।

3. उक्त आरोपों के लिए विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक- 3632, दिनांक-26.06.2023 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं स्मारित किया गया ।

4. श्री प्रभात कुमार के द्वारा आवेदन दिनांक-25.09.2024 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में निर्धारित मुख्यालय (प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची) में दिनांक-25.09.2024 को पूर्वाहन में योगदान करने की सूचना देते हुए निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5. श्री कुमार के आवेदन दिनांक-25.09.2024 से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-21637(HRMS), दिनांक-14.06.2023 के द्वारा निलंबित किये जाने के उपरांत काफी विलंब से दिनांक-25.09.2024 को निर्धारित मुख्यालय में योगदान किया गया है।

6. अतः श्री प्रभात कुमार से प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया जाता है:-

(क) श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जामताड़ा सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय- प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, द०छो० प्रमण्डल, राँची को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) निलंबन की अवधि में श्री प्रभात कुमार को प्रदान की गयी जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उक्त अवधि की गणना मात्र पेंशन परियोजनार्थ की जायेगी।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRABHAT KUMAR (JHK/JAS/103)	DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	(क) श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जामताड़ा सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय- प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, द०छो० प्रमण्डल, राँची को निलंबन से मुक्त किया जाता है। (ख) निलंबन की अवधि में श्री प्रभात कुमार को प्रदान की गयी जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उक्त अवधि की गणना मात्र पेंशन परियोजनार्थ की जायेगी।	16/12/2024	It will be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
